न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 43 / 2018

1 नेमीचन्द उम्र 45 वर्ष पुत्र रामेश्वरसिंह जाति जाट निवासी शिवरान का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर मानसिक विकृत जरिये नक्सटफ्रेड धर्मपत्नी संतरा।

2 राकेश उम्र 26 वर्ष पुत्र नेमीचन्द।

3 सरोज उम्र 21 वर्ष पुत्री नेमीचन्द।

4 अनिल उम्र 20 वर्ष पुत्र नेमीचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण शिवरान का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामेश्वरसिंह पुत्र रूपाराम।

2 हरलाल सिंह पुत्र रूपाराम।

3 मु0 पतासी धर्मपत्नी रूपाराम (फौत नाम हजफ) समस्त जाति जाट निवासीगण शिवरान का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

4 सब रजिस्ट्रार लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

5 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

6 प्रबन्धक शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ा जिला सीकर।

7 मनफूल उर्फ नेमीचन्द पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी शिवरान का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांकित 20.02.2018
बमुकदमा नेमीचन्द आदि बनाम रामेश्वर आदि न्यायालय
सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ मुकदमा नम्बर 199/2013
पीठासीन अधिकारी अनिल कुमार आर.ए.एस. अपील
अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री फूलचन्द थालौड़, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 05.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 199/2013 में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट के विरूद्व एक दावा बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम शिवरान का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 70 रकबा 1.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 92 रकबा 2.58 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 101 रकबा 3.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 110 रकबा 1.04 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 8.95 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा का काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है खसरा नम्बर 54/2 रकबा 2.81 हैक्टेयर सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार था। जिसका प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बेचान दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 2/रेस्पोडेंट संख्या 2 को कर दिया जबकि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वादी संख्या 2 व 4 प्रतिवादी संख्या 1/रेस्पोडेंट संख्या 1 के पौत्र है व वादी संख्या 3 पौत्री है। क्योंकि अपीलांट संख्या 1 नेमीचन्द मानसिक रूप से विकृत होने के कारण जरिये नक्सफ्रेड राकेश , सरोज़ व अनिल की माता संतरा को बनाया था उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था। अपीलांट/वादीगण द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज भूमियां खसरा नम्बर 70,92,101,110 में 1/2 हिस्से में से 1/2 व खसरा नम्बर 54/2 में से सम्पूर्ण में से 1/2 हिस्सा जो आराजियात पैतृक भूमियां है। िजिसमें अपीलांट के पिता मानसिक रूप से विकृत होने के कारण अपने दादा रामेश्वर के हिस्से की खातेदारी काश्तकारी में से उद्घोषणा किये जाने की सहायता चाही गयी थी। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने दावा व प्रार्थना पत्र दिनांक 07.06.2002 को दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से बाद तामील अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया व प्रतिवादी संख्या 3 की पुनः तामील के आदेश पारित किये तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की एक्स पार्टी आदेश पारित किये। दौराने दावे प्रतिवादी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 54/2 रकबा 2.81 हैक्टेयर का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 28.06.2002 को कर दिया तथा दिनांक 02.07.2002 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर दिया था। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एक आवेदन आदेश 32 सीपीसी का पेश किया गया व वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं दिनांक 10.08.2004 को एक आवेदन आदेश 1 नियम 13 सीपीसी मनफुल व नेमीचन्द की ओर से पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता राजेश ने वकालतनामा पेश किया। आवेदन आदेश 1 नियम 13 सीपीसी को दिनांक 04.11.2004 को स्वीकार कर लिया गया व वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया प्रतिवादी संख्या 3 का नाम हजफ का पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय ने आवेदन प्रतिवादी संख्या 3 का नाम हजफ करने का स्वीकार करते हुए दिनांक 21.03.2006 को आदेश पारित किया एवं आवेदन आदेश 6 नियम 17 सीपीसी दिनांक 08.08.2009 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 1की ओर से आवेदन आवेदन 32 सीपीसी का माननीय न्यायालय ने नेमीचन्द के बयान लेकर खारिज किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना जवाब पेश किये हुए एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का दिनांक 19.06.2012 को पेश किया जिसका अपीलांट के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया जिस पर बहस सुनने के पश्चात विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर आदेश जैर अपील पारित किया जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट की विवादित कृषि भूमियां पैतृक भूमियां है जो अपीलांट के दादा रामेश्वर के खातेदारी में दर्ज है अपीलांट के पिता नेमीचन्द मानसिक रूप से विकृत है इसलिए नेक्सटफ्रेड की ओर से अपीलांट ने अपने दादा रामेश्वर के हक हिस्से की भूमि में से आधी भूमियो का अपीलांट/वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में अपने अधिकारो की उद्घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत किया था। जिसे सुनवायी का अधिकार केवल मात्र योग्य अधिनस्थ न्यायालय को है लेकिन योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने केवल कयासो के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद इस निष्कर्ष के साथ खारिज किये जाने में गम्भीर भूल की गयी है कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 28 के प्रावधानानुसार रोग या अंग विकार पुत्र की हिन्दु विधि में अनेक अर्हताये मान्य थी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम ने उन्हे बहुत कम कर दिया है धारा 28 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी सम्पति का उतराधिकारी पाने से उसकी रोग त्रुटि या अंग विकार के आधार पर या इसमें यथा उपबंधित को छोड़कर किसी भी अन्य आधार पर चाहे वह कोई क्यो न हो निहित न होगा। शीताभ्रष्टता भी निर्हता नही है का कारण देते हुए खारिज किया है जबकि प्रतिवादी संख्या 7 मनफूल उर्फ नेमीचन्द ने कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया है जबकि वादीगण को अपने पिता मानसिक विकृत होने पर प्रस्तुत करने का पूर्ण

भू प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
[illegible]

अधिकार है इस कारण भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 का आवेदन ही आदेश 7 नियम 11 की परिधि से बाहर है तथा योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने आधार पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के स्कोप से बाहर जाकर व बिना कोई आपत्ति के ही दावा खारिज कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय अपीलांट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सबल दावा प्रस्तुत होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश होना चाहिए था जबकि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नही हुआ। इस प्रकार योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेशात्मक प्रावधानो के अनुसार न तो जवाबदावा प्रस्तुत हुआ है तथा ना ही साक्ष्य पेश हुई इसलिये योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया है जबकि कानूनन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत वाद खारिज नही किया जा सकता और अपने निर्णय में वाद पत्र खारिज करने का हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 28 का कथन किया गया है इसलिए निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त होने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचाराधीन निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय ने वादी अपीलांट का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत खारिज किया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय के विवेचन में आदेश 7 नियम 11 की कोई विवेचना नही की है। अपितु हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 28 का विवेचन कर वाद खारिज किया है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। आदेश 7 नियम 11 की परिधी में प्रकरण तब माना जाता है जब वाद विधि द्वारा वर्जित हो। प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलांट का वाद किस प्रकार विधि वर्जित है। इसका कोई विवेचन विचारण न्यायालय द्वारा नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त योग्य पाया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया अपनाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.02.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर